



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट-1,कै0पी0-4, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0) ।

website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in

पत्रांक :- 70992/ग्रे0नौ0/वित्त/2019-20

दिनांक: 18/09/2019

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की विभिन्न परिसम्पत्तियों के आवंटियों द्वारा प्रीमियम के सापेक्ष 1% टी0डी0एस0 एवं प्रीमियम के ब्याज पर 10% टी0डी0एस0 (u/s. 194A) काटकर धनराशि जमा करायी जा रही थी। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 02.07.2018 के क्रम में प्राधिकरण के अधिकृत सी0ए0 मै0 सार्क एण्ड एसोसिएटस् द्वारा अपने अभिमत में अवगत कराया गया है कि - " For Assessment Year- 2020-21 ; the allottee may be asked to revise its tds returns as no TDS is deductible on interest in view of Hon'ble Supreme Court Judgement and TDS credit may be denied. इस सम्बन्ध में पत्रांक संख्या:- 50897/वित्त/2019-20 दिनांक 12.07.2019 भी जारी किया गया था तथा सभी विभागों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपनी आवंटियों को भी इस सम्बन्ध में अवगत करायें, परन्तु वर्तमान में भी आवंटियों के टी0डी0एस0 के प्रकरण सामने आये हैं।

अतः मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार एवं प्राधिकरण के अधिकृत सी0ए0 मै0 सार्क एण्ड एसोसिएटस् के अभिमतानुसार भविष्य में प्राधिकरण की किसी भी परिसम्पत्ति के आवंटियों द्वारा u/s: 194A के तहत ब्याज पर कोई टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जाय। यदि किसी आवंटी द्वारा ब्याज की धनराशि पर टी0डी0एस0 काटकर जमा किया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा टी0डी0एस0 का लाभ आवंटी को नहीं दिया जायेगा।

(हौसिला प्रसाद वर्मा)
महाप्रबन्धक (वित्त)

प्रतिलिपि-

1. स्टाफ ऑफीसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी0/जी0) को सूचनार्थ।
3. विशेषकार्याधिकारी (एस0के0) को सूचनार्थ।
4. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष () को सूचनार्थ।
5. प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पेमेन्ट इंटीमेशन में इस आशय की शर्त तत्काल अंकित करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

महाप्रबन्धक (वित्त)